

15/11/2020

(15)

4/11/2020

न्यायालय उपकरण अधिकारी [पूर्व]
जयपुर ।

प्रार्थना पत्र संख्या : 59/99

संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधि.

संशोधित टाईटल

मनोहर सिंह पुत्र स्व० श्री रामचन्द्र जाति दरोगा निवासी ग्राम
कानडवास, तहसील बस्ती, जिला जयपुर ।

--- प्रार्थी

ब नाम

1. मदन सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम कानडवास, तहसील
बस्ती जिला जयपुर हाल टीबा नम्बर 7 ए, जवाहर नगर, जयपुर ।
2. शम्भू सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम कानडवास, तहसील
बस्ती, जिला जयपुर हाल मूरली देवी भवन, मातियो का मोहल्ला
छतरी के पास, सीकर हाऊस, जयपुर ।
- 2/1 श्रीमती विमला कौर पतिन स्व० शम्भू सिंह
- 2/2 दीपक पुत्रान स्व० शम्भू सिंह समस्त नाबालिगान
- 2/3 फौजी बिकलायत माता स्वयं श्रीमती विमला कौर
- 2/4 बॉबी
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र जाति दरोगा निवासी ग्राम
कानडवास तहसील बस्ती जिला जयपुर हाल मकान नम्बर 210
नाहरगढ रोड, जयपुर ।
4. सुरेश सिंह पुत्र स्व० श्री रामचन्द्र दरोगा निवासी ग्राम कानडवास
तहसील बस्ती, जिला जयपुर ।



5. ✓ श्रीमती धापा पतिन स्व० श्री रामचन्द्र जाति दरोगा निवासी
गाँम कानडवास तहसील बस्ती जिला जयपुर हाल प्लॉट नम्बर
बी-84, रोड नं० 7, नित्यानन्द नगर, गाँधी पथ, जयपुर ।
6. ✓ श्रीमती भँवरी पतिन हनुमान पुत्री स्व० रामचन्द्र जी निवासी
गाँम लाखनी पोस्ट काट लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
7. श्रीमती मोती पतिन भागीरथ सिंह पुत्री स्व० रामचन्द्र निवासी
क्वाटर नम्बर 4 ए, ब्लॉक नम्बर 127, मौहब्बत खाँ रोड,
रेल्वे क्वाटर 28 धोबी घाट मिन्टोर ब्रिज, नई दिल्ली ।
8. श्रीमती सुगन पतिन मंगल सिंह पुत्री स्व० रामचन्द्र निवासी बिरजू
सिंह की टाणी, त्रिवेणी रोड, हनुमान जी का मन्दिर, पोस्ट
शाहपुरा, जिला जयपुर ।
9. गोपाल लाल पुत्र धन्नाराम जाति मीणा निवासी गाँम चैनपुरा
॥सवाई गैटोर॥ तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
10. रघुनाथ पुत्र ज्ञाना जाति मीणा निवासी सीकल गैटोर तहसील
सांगानेर जिला जयपुर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती, जिला जयपुर ।

--- अग्रार्थीगण

शशाङ्क
१२

मनाहर सिंह

- १६१ श्रीमती भैरवी पतिन हनुमान पुत्री स्व० रामचन्द्र जी निवासी
ग्राम लाउनी पोस्ट काट लाउनी तहसील झाहपुरा जिला जयपुर ।
- १७१ श्रीमती मोती पतिन भागीरथ सिंह पुत्री स्व० रामचन्द्र निवासी
क्वाटर नम्बर ४ ए, ब्लॉक नं-१२७, मौहब्बत बाँ रोड, रेल्वे
क्वाटर २८, धोबी हाट मिन्टो ब्रिज, नई दिल्ली ।
- १८१ श्रीमती सुगन पतिन मंगल सिंह पुत्री स्व० रामचन्द्र निवासी
बिरजू सिंह की टापी, त्रिवेणी रोड, हनुमान जी का मन्दिर
पोस्ट झाहपुरा जिला जयपुर ।
- १९१ गोपाल लाल पुत्र धन्नाराम जाति मीषा निवासी ग्राम
चैनपुरा ११ स्टाई गेटोर १ तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
- ११०१ रघुनाथ पुत्र ज्ञाना जाति मीषा निवासी सर्किल गेटोर, तहसील
सांगानेर जिला जयपुर ।
- ११११ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती, जिला जयपुर ।

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- १११ यह कि प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत
दोषपा छातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिया है,
इसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी पूरी आशा है ।

128 यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कन्या । ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है, अप्रार्थी कन्या । ता 4 प्रार्थी के लो भाई है, अप्रार्थी कन्या 3 प्रार्थी एवं अप्रार्थी कन्या । ता 4 की माता है एवं अप्रार्थी कन्या 8 ता 8 चाची एवं अप्रार्थी कन्या । ता 4 की लगी बहिने है ।


138 यह कि चाके ग्राम कानहवास, तहसील बस्ती, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा व भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा स्थित है, इस भूमि के धातेदार कृष्ण रामचन्द्र पुत्र अमरचन्द्र पारख ओखवाल महाजन जिसका इस भूमि में 1/3 हिस्सा, ~~रामचन्द्र पुत्र रामचन्द्र~~, रामचन्द्र पुत्र भोमा हिस्सा 1/3 रघुनाथ पुत्र ज्ञाना भोपा हिस्सा 1/3 है ।

148 यह कि प्रार्थी ने उक्त आराजीयात में से 1/3 हिस्सा जो रतन चन्द्र पुत्र अमर चन्द्र पारख ओखवाल महाजन का था जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया, जिसको इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से हो गया, रतन चन्द्र का हिस्सा 1/3 क्रय करने के पश्चात प्रार्थी ने इस भूमि में अपने खर्च से कुये का निर्माण करवाया, बिजली कनेक्शन व मोटर पम्प आदि अपने खर्च से लगवाया, इस प्रकार प्रार्थी रतन चन्द्र के 1/3 हिस्से का कारिब्य धातेदार कृष्ण हो गया । इस भूमि में प्रार्थी ने पेड़ पीछे भी लगा रखे है व बिना किसी बाधा व स्वाक्ट के काबत करता चला आ रहा है ।

158 यह कि रामचन्द्र पुत्र भोमा जाति दरोगा जिसका प्रार्थना पत्र

के मद नम्बर 3 में वर्णित आराजीयात में 1/3 हिस्सा है,
 रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है । रामचन्द्र के वारीसान
 व उत्तराधिकारी निम्न प्रकार है :-

रामचन्द्र मृतक



यह कि इस प्रकार प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 5 में वर्णित स्वर्गीय
 रामचन्द्र के वारीसान का रामचन्द्र की उत्तराधिकारी व काशत
 की भूमि जिस्का वर्णन प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में अंकित
 किया गया है में 1/3 हिस्सा है, रामचन्द्र के स्वर्गवास के
 पश्चात उक्त आराजीयात में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8
 का बराबर-बराबर का 1/9 हिस्सा है, रामचन्द्र की एक
 लडकी शान्ति देवी का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण
 उसको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, रामचन्द्र के
 1/3 हिस्से की भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8
 के मध्य आज तक किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ
 है, इस वाद में रामचन्द्र के 1/3 हिस्से की भूमि का विवाद
 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के मध्य है ।

878 यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 3 में वर्णितानुसार रामचन्द्र पुत्र भोमा की हिस्से व छातेदारी काश्त की भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का बराबर-बराबर 1/9 हिस्सा है। उक्त आराजीयात में संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्यों का स्मान रूप से हक व अधिकार है, विवादग्रस्त आराजीयात अविभाजित है, जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 सामूहिक रूप से ही मौके पर कब्जा काश्त है तथा रामचन्द्र की छोड़ी हुई सम्पत्ति में कानूनन वारीस प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 स्मान रूप से छातेदार काश्तकार हो गये है। इसी हिस्सेनुसार इस भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 काबिज होकर रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन उक्त आराजीयात में रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के हक में ~~रामचन्द्र की वारिसी क सही है~~ नामान्तरण खोल दिया व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का नाम बराबर-बराबर हिस्सेदार 1/6 के हिस्से से अंकित कर दिया, जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का बराबर-बराबर हिस्सा 1/9 कानूनन अंकित होना चाहिये था, उक्त गलती अप्रार्थी संख्या 11 के कर्मचारीयो से हुई है जो दुरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 6 ता 8 भी रामचन्द्र के कानूनी वारीस व उत्तराधिकारी है, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत रामचन्द्र के द्वारा छोड़ी गई सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के स्मान बराबर-बराबर का हिस्सा है।

अनादेश सिद्ध प्रदान सिद्ध

17-11-07 पत्रावली प्रस्तुत हुई कानूनी कार्य
व्यस्त रहने के कारण प्रस्ताव नहीं
जा सकी। पत्रावली (110)-12-07 का प्रस्तुत हो

17-11-07 पत्रावली पेश हुई वकील समयपदा उपस्थित
पत्रावली वाले बहस प्रायोजक अ. डिवाइ
15-12-07 का पेश हो

15/11/08 पत्रावली केम डी वकील समयपदा उप
स्थित। पत्रावली वाले बहस प्रायोजक अ. डिवाइ
25/11/08 को पेश हो

15/11/08
29-12-07 पत्रावली पेश हुई वकील समयपदा उपस्थित
बहस वकील समयपदा प्रायोजक अ.
पत्रावली गयी पत्रावली वाले अनादेश डिवाइ
10-1-08 का पेश हो

10-1-08 पत्रावली पेश हुई वकील समयपदा उपस्थित
प्रायोजक का प्रायोजक अनादेश डिवाइ
स्वार्थित किया जाता है विद्वत् विषय
पुस्तक है लिखवाया जाकर शामिल करावली
किया गया पत्रावली बहस अनादेश डिवाइ
नाकर के काम हो बाद लक्ष्मील है
बाद के साथ समझौता है।